संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 509.22 करोड़ की राजस्व अर्थापत्ति सहित करों, ब्याज, स्टाम्प शुल्क के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, मोटर वाहन कर के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण आदि से संबंधित 21 लेखापरीक्षा अनुच्छेद, वस्तु एवं सेवा कर के तहत कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) शामिल है।

अध्याय-1

सामान्य

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 49.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 69.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई, भारत सरकार से सहायता अनुदान में 20.59 प्रतिशत की कमी हुई और विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के हिस्से में 73.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 80,614.12 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 79.57 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्तियों का शेष 20.43 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के रूप में राज्य का हिस्सा भारत सरकार से मिला था।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, उत्पाद शुल्क और परिवहन से संबंधित 143 यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2023-24 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 7,144 मामलों में कुल ₹ 998.85 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 5,769 प्रकरणों में शामिल ₹ 814.62 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने वर्ष 2023-24 के दौरान 41 मामलों में ₹ 0.24 करोड़ वसूल किए, जिनमें से ₹ 0.20 करोड़ की राशि के 41 मामले पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

(अनुच्छेद 1.10)

अध्याय-2

राज्य आबकारी/बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

वस्तु एवं सेवा कर के तहत कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में छूट और रियायती दरों का गलत लाभ उठाने, अग्रिमों एवं अचल परिसंपत्तियों पर कर का भुगतान न करने तथा ब्याज के कम भुगतान के मामले पाए गए, जिससे संचयी रूप से ₹ 389.07 करोड़ की अनुपालन अनियमितताओं का पता चला। इसके अतिरिक्त, 30 करदाताओं में से 18 मामलों के विस्तृत अभिलेख लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके

कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में ₹ 37.69 करोड़ की अनियमितता/विसंगति और भुगतान न की गई कर देयता से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा में अनुचित संवीक्षा के मामले भी देखे गए, जिसके परिणामस्वरूप कार्यात्मक लेखापरीक्षा में कर का कम भुगतान, टर्नओवर का छिपाव, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान न होना और ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ, जिनकी कुल राशि ₹ 4.83 करोड़ है।

सिफारिशें

सरकार, लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के विस्तृत अभिलेख प्राप्त करने और उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर विचार करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं के संबंध में, सभी संबंधित कर अधिकारियों द्वारा अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो, विभाग रिटर्न और लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता की जांच करे तथा रिटर्न में पाई गई विसंगतियों या अनियमितताओं पर उचित कार्रवाई शुरू करे।

(अनुच्छेद 2.3)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अंतिम स्टॉक के संदर्भ में पांच डीलरों की बिक्रियों के विवरणों का सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.67 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.4)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय वस्तुओं की बिक्री पर लागू कर की दर से कम दर लागू की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त, ₹ 2.47 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 2.5)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.93 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

(अनुच्छेद 2.6)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने सत्यापन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप पेनल्टी सहित ₹ 2.32 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई।

(अनुच्छेद 2.7)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने अयोग्य डीलरों को जारी किए गए वैट-डी1 के आधार पर तीन डीलरों को रियायती बिक्री की अनुमति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.16 करोड़ की राशि के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.8)

अध्याय-3

स्टाम्प शुल्क

कृषि भूमि की दरों के आधार पर 266 विलेखों में ₹ 49.60 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की गई थी, हालांकि, भू-अभिलेखों (जमाबंदी) से पता चला कि वे आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्लॉट/भूमि थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.08 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.3)

59 मामलों में सहयोग करारों के गलत वर्गीकरण/अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 30.65 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 3.4)

53 दस्तावेजों में, बंधक विलेख पंजीकृत किए गए थे, जिनमें स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण फीस या तो कम प्रभारित की गई थी या बिल्कुल भी प्रभारित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.43 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, 10 दस्तावेजों के मामले में, साधारण बंधक दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 50.27 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ। इस प्रकार, ₹ 9.93 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 3.5)

24 समझौता डिक्रियां, जो वास्तविक नहीं थी, नाममात्र स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस प्रभारित करके पंजीकृत की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.90 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट हुई।

(अनुच्छेद 3.6)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने भूमि विनिमय के 32 विलेखों को पंजीकृत करते समय ₹ 16.10 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की, हालांकि, इन पर ₹ 1.92 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्राहय थी क्योंकि भूमि का विनिमय अलग-अलग राजस्व संपदाओं या आवासीय भूमि के अंतर्गत आता था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.76 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 3.8)

खून के रिश्तों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण विलेखों के 21 दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 99.55 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.9)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषि भूमि हेतु नियत सामान्य दरों पर प्राइम खसरा भूमि का गलत निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.54 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 3.10)

अध्याय-4

वाहनों पर कर

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, पंचकुला में नियंत्रक अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.43 करोड़ के सरकारी धन का संदिग्ध दुर्विनियोग हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)